

प्रपत्र ए
सार्वजनिक घोषणा

(अंतर्गत इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के रेगुलेशन 6 के अंतर्गत)
(दिवाला समाधान प्रक्रिया, कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए) विनियम, 2016)

KSK महानदी पावर कंपनी लिमिटेड के क्रेडेंशियरों के ध्यान के लिए

संबंधित विवरण

1.	कॉर्पोरेट देनदार का नाम	KSK महानदी पावर कंपनी लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट देनदार को शामिल करने की तारीख	19 जून, 2009
3.	प्राधिकरण जिसके तहत कॉर्पोरेट देनदार शामिल/पंजीकृत है	हैदराबाद की कंपनी – कंपनियों रजिस्ट्रार अधिनियम, 1956 के अंतर्गत
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या / कॉर्पोरेट देनदार की सीमित देयता पहचान संख्या	U40300TG2009PLC064062
5.	कॉर्पोरेट देनदार की पंजीकृत कार्यालय एवं प्रमुख कार्यालय (अगर यदि कोई हो) का पूर्ण पता	पंजीकृत पता: 8-2-293/82/ए/431/ए, रोड नं. 22 जुब्ली हिल्स हैदराबाद, तेलंगाना – 500 033 कॉर्पोरेट पता: 8-2-293/82/ए/431/ए, रोड नं. 22 जुब्ली हिल्स हैदराबाद, तेलंगाना – 500 033
6.	कॉर्पोरेट देनदार के दिवालिया शुरू होने की प्रारंभ तिथि, संबंध में	3 अक्टूबर, 2019
7.	दिवालिया संकल्प प्रक्रिया को बंद करने की अनुमानित तारीख	31 मार्च, 2020
8.	अंतरिम रिजॉल्यूशन के रूप में दिवालिया कंपनी का नाम और पंजीकरण संख्या	महेन्द्र कुमार खंडेलवाल पंजीकृत संख्या: IBB1/IPA-001/IP-P00033/ 2016-17/10086
9.	अंतरिम रिजॉल्यूशन का पता और ई-मेल, जो कि बोर्ड के साथ पंजीकृत है	पता: बी-2ए, सनी वैली CGHS, प्लॉट नंबर 27, सेक्टर 12, द्वारका, नई दिल्ली – 110 078 ईमेल: khandelwalmahendar2@gmail.com
10.	अंतरिम रिजॉल्यूशन के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता और ई-मेल	पता: प्राइसवाटर कूपर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट # Y-14, ब्लॉक EP, सेक्टर-5, साल्ट लेक, कोलकाता – 700 091 ईमेल: claims.ksk@in.pwc.com
11.	दावों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	17 अक्टूबर, 2019
12.	लेनदारों की केटेगरी/क्लास, यदि कोई हो, तो धारा 21 की उप-धारा (6 ए) के खंड (बी) के तहत, अंतरिम संकल्प द्वारा संदर्भित किया गया	लागू नहीं
13.	लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में, वर्गीकृत रूप से समानता के साथ कार्य करने के लिए पहचाने गए दिवालिया के नाम (प्रत्येक वर्ग के लिए तीन नाम का प्रावधान)	लागू नहीं
14.	(ए) प्रासंगिक रूप में, और (बी) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण की उपलब्धता :	(क) http://www.ibbi.gov.in/downloadform.html (ख) लागू नहीं

यहाँ यह सूचना दी गई है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, हैदराबाद ने 3 अक्टूबर, 2019 को KSK महानदी पावर कंपनी लिमिटेड की एक कॉर्पोरेट दिवालिया सीमित संकल्प कंपनी प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।

KSK महानदी पावर कंपनी लिमिटेड के लेनदारों को एतद्वारा 17 अक्टूबर, 2019 को या उससे पहले एंटी रिजॉल्यूशन 10 के विरुद्ध उल्लेखित पते पर अंतरिम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल के कार्यालय में अपने दावे प्रमाण के साथ प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

वित्तीय लेनदार केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रमाण के साथ अपने दावे प्रस्तुत करेंगे। अन्य सभी लेनदार दावों को व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।

एक वर्ग से संबंधित वित्तीय लेनदार, जैसा कि प्रविष्टि नंबर 12 के विरुद्ध सूचीबद्ध है, तीन इन्सॉल्वेंसी पेशेवरों में से प्राधिकृत प्रतिनिधि को इंगित करेगा, जो प्रविष्टि नंबर 13 के अपनी पसंद के विरुद्ध फॉर्म सीए में श्रेणी के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए सूचीबद्ध है।

दावों के प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला रिजॉल्यूशन प्रक्रिया), 2016 ("सीआईआरपी विनियम") के अध्याय IV के अनुसार किया जाना चाहिए, जो की उचित है। दावों के प्रमाण को निम्नलिखित निर्दिष्ट नियमों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना है:

- फार्म बी – परिचालन लेनदारों द्वारा दावों के लिए
- फार्म सी – वित्तीय लेनदारों द्वारा दावों के लिए
- फॉर्म डी – काम करने वाले और कर्मचारियों द्वारा दावों के लिए
- फार्म ई – कामगार और कर्मचारियों के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दावों के लिए
- फार्म एफ – लेनदारों (वित्तीय लेनदारों और परिचालन लेनदारों के अलावा) द्वारा दावों के लिए

प्रपत्र की एक प्रति प्राप्त करने के लिए, आप वेबसाइट www.ibbi.gov.in (<http://www.ibbi.gov.in/downloadform.html>) नियमों से उपर्युक्त प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

हस्ता / -

महेन्द्र कुमार खंडेलवाल

दिनांक : 06 अक्टूबर 2019
स्थान : हैदराबाद

KSK महानदी पावर कंपनी लिमिटेड के अंतरिम संकल्प पेशेवर
IBBI/IPA-001/IP-P00033/2016-17/10086

6th October
Swadesh
- Raipur

